परिशिष्ट

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना सन् 1961 के जून मास में हुई थी । आयोग को भारत सरकार ने जो काम सौंपे थे उनमें से एक काम ऐसी मानक विधिक शब्दावली तैयार और प्रकाशित करने का था जो यथासंभव हिन्दी तथा विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में अपना ली जा सके ।

आयोग ने यह उचित समझा कि जो भी विधिक शब्दावली तैयार की जाए वह केन्द्रीय विधियों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ और भारत के विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में उनके अनुवाद तैयार करने की प्रक्रिया में ही की जाए । अत: आयोग ने उन प्रमुख केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करना शुरू किया और विधिक प्रारूपण के माने हुए सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर तथा इस बात को विशेषत: ध्यान में रखते हुए कि अनुवाद में और मूल अधिनियम के अर्थ में भेद न पड़ने पाए हिन्दी तथा विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग और सहायता से ऐसे पर्याय चुने जिनकी उस विधि के संदर्भ में वही अर्थव्याप्ति हो जो उस अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द की थी जिसके लिए चुने गए शब्द का प्रयोग किया जाना था ।

यह भी उचित समझा गया कि इस प्रकार जो हिन्दी पाठ और विधिक शब्दावली तैयार की जा रही थी उन्हें आरम्भ में सब राज्य सरकारों के विचार के लिए भेजा जाए और उन सरकारों से उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाएं । कुछ वर्षों तक यह प्रक्रिया बरती जाती रही और राज्य सरकारों ने जो टिप्पणियां भेजीं उन पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त आयोग ने विधिक शब्दावली और हिन्दी पाठ दोनों को ही अन्तिम रूप दिया।

आयोग ने पाठ तैयार करने में उन अधिनियमों को प्राथमिकता दी जिनका प्रयोग न्यायालयों में लगभग प्रतिदिन होता है और उन अधिनियमों को भी प्राथमिकता दी जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए हुए हैं । इसके अतिरिक्त आयोग ने श्रमिक वर्ग से संबंधित अधिनियमों को भी प्राथमिकता दी । अब तक आयोग 168 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ तैयार कर चुका है जिनमें से 142 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं । अत: अब वे उन अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ हो गए हैं और वही महत्व और दर्जा रखते हैं जो उन अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ का है ।

इन अधिनियमों में प्रयुक्त विधिक शब्दावली को संकलित करके अब सम्बद्ध जनों के प्रयोग के लिए प्रकाशित किया जा रहा है । आयोग का यह विश्वास है कि जिनका भी विधिक साहित्य, विधिक व्यवसाय और विधिक पठन पाठन से सम्बन्ध है उन सब के लिए यह संकलन उपयोगी सिद्ध होगा । यह बात तो स्पष्ट है ही कि जिन लोगों को भी केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठों का हवाला देना होगा उन्हें तो उन अधिनियमों में प्रयुक्त शब्दावली का ही प्रयोग करना होगा । किन्तु जिन्हें केन्द्रीय अधिनियमों का हवाला न भी देना हो उनके लिए भी इस संकलन में दी गई शब्दावली का प्रयोग सहायक होगा ।

इसमें जिन अंग्रेजी शब्दों और पदावलियों को सम्मिलित किया गया है उनका अंग्रेजी में वह अर्थ दिया गया है जिसमें वे सम्बद्ध अधिनियमों में प्रयुक्त हुए या हुई हैं । अंग्रेजी अर्थ के पश्चात् वह प्रमुख पर्याय दिया गया है जिसका प्रयोग सम्बद्ध अधिनियम में किया गया है । किन्तु साथ ही कहीं-कहीं कोष्ठक में दूसरे पर्याय भी दिए गए हैं जो आयोग ने हिन्दी से भिन्न भाषाओं के प्रतिनिधियों के इस मत के आधार पर अपनाए कि जो प्रमुख पर्याय तय किए गए हैं उनके स्थान में, उन अन्य भाषाओं में उन दूसरे पर्यायों का प्रयोग भी किया जा सकता है । इसी आधार पर कहीं-कहीं वे पर्याय भी दिए गए हैं जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में चलते रहे हैं । यह बात इसलिए की गई है कि हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप कहीं ऐसा न हो जाए कि हिन्दी भाषियों के लिए ही वह एक नई भाषा बन जाए ।

आयोग का प्रयास बराबर यह रहा है कि वे ही पर्याय अपनाए जाएं जो भारत की प्रमुख भाषाओं में से अधिकांश में आत्मसात किए जा सकें । आयोग ने किसी भी उपलब्ध पर्याय की केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की कि वह हिन्दी भाषा से भिन्न भाषा का शब्द है । किसी भाषा स्रोत से भी आए जो शब्द

हिन्दी में आत्मसात हो चुके हैं यदि वे शब्द अन्य भाषाओं को भी मान्य हुए तो उन्हें आयोग ने अपना लिया। इस प्रकार अपील, समन, वारण्ट आदि प्रचलित शब्द ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं। विधिक विचारों में जो सूक्ष्म अन्तर होते हैं यदि उनको अभिव्यक्त करने के लिए हिन्दी में शब्द नहीं मिले तो उनमें से कई के लिए भारत की अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं। हो सकता है कि आरंभ में ये शब्द हिन्दी भाषियों को इस कारण सहजबोध न हों कि वे उनसे परिचित नहीं हैं। किन्तु जो भी शब्द उन भाषाओं से लिए गए हैं वे ऐसे हैं कि वे सहज ही हिन्दी में पचाए जा सकते हैं और कुछ समय के प्रयोग से ही हिन्दी भाषा में प्रचलित हो जाएंगे। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 351 को दृष्टि में रखते हुए अपनाई गई है। स्वभावत: जो विधिक शब्दावली आयोग ने अपनाई, उसमें संस्कृत उद्भव के शब्दों का प्राचूर्य है क्योंकि उसी भाषा से आए शब्दों के बारे में भारत की अधिकांश भाषाओं का मतैक्य हो पाता है। पर आयोग का भरसक यह प्रयत्न रहा है कि निश्चितार्थता की रक्षा करते हुए जहां तक संभव हो वे शब्द अपनाए जाएं जो या तो हिन्दी भाषा या धर्मशास्त्रों में या भारत की अन्य भाषाओं में पहले से ही विद्यमान हैं अथवा जो भारत के संविधान के भारतीय भाषाओं में अनुवाद के समय बुलाए गए अखिल भारतीय भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाए गए थे अथवा जो उन विभिन्न समितियों ने सुझाए जिनको या तो संसद् के सदनों के अध्यक्ष और सभापति ने अथवा भारत सरकार ने समय-समय पर नियुक्त किया था। आयोग ने अनिवार्य परिस्थिति को छोड़कर किसी नए शब्द को गढ़ने का प्रयास नहीं किया है।

हो सकता है कि इस संकलन में दिए गए कुछ शब्द आरंभ में अपरिचित से लगें किन्तु शास्त्रीय भाषा तो हर स्थिति में जन साधारण की भाषा से किसी हद तक भिन्न होती है। सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है। विधि तो ऐसा शास्त्र है जिसका संबंध करोड़ों नर-नारियों के जीवन से होता है, अत: उसमें तो निश्चित अर्थव्याप्ति वाले शब्द ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कहीं-कहीं आयोग को जनसाधारण की भाषा के कुछ प्रचलित शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है।

आयोग ने यह भी उचित समझा कि जिन लेटिन भाषा के सूत्रों का प्रयोग बहुधा न्यायालयों तथा वकीलों द्वारा किया जाता है उनके भी सम्यक् पर्यायवाची हिन्दी सूत्र इस संकलन में दे दिए जाएं।

आयोग का विश्वास है कि अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ में प्रयुक्त होने के कारण इन शब्दों की अर्थव्याप्ति न्यायालयों के निर्णयों से शीघ्र ही पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। आयोग को यह भी आशा है कि इस संकलन के प्रकाशन से विधि के क्षेत्र में हिन्दी भाषा का प्रयोग सहज हो जाएगा और न्यायाधीश, वकील, शिक्षक और विद्यार्थी इसकी सहायता से अपना विधिक कार्य अथवा पठन-पाठन सहज ही में चला लेंगे।

नई दिल्ली ;
22 अक्तूबर, 1970

सतीश चंद्र मिश्र
अध्यक्ष
राजभाषा (विधायी) आयोग